Political Science (Faculty of Social Science)
DP-I, Paper-II,

Topic- "फ्रांस के पंचम गणतंत्रीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ"
(Dr. D. N. Yadav)

फ्रांस की धरती एक ऐसी धरती है जहाँ पर हमेशा संवैधानिक प्रयोग होते रहे हैं। 1789 के क्रान्ति के बाद वहाँ पर प्रजातंत्र की बहाली का कितना प्रयोग किया गया, परन्तु सारे प्रयोगों में असफलता ही हाथ लगी। बाद में गणतंत्रीय शासन की स्थापना की गई। प्रथम और द्वितीय गणतंत्र स्थापित तो हुआ लेकिन विफल हो गया। तृतीय गणतंत्र जो 1870 से 1940 तक चला, स्थायी नहीं रह सका। 1946 में चतुर्थ गणतंत्र लागू किया गया। उसमें भी अनेकों दोष थे जिसके कारण फ्रांस में बार-बार कठिनाइयाँ आती रहीं। 20 वीं शताब्दी के पंचम दशक में फ्रांस की स्थिति खराब हो गयी थी। सरकारें बनती थी और बिगड़ती थी। देश में अव्यवस्था फैल रही थी जिसके कारण दि गॉल (De Gaulle) जैसे जेनरल ने अपने हाथ में नेतृत्व सम्भाली और पूरे शासन की बागडोर अपने हाथों में लिया। समिति के द्वारा संविधान का निर्माण कराया जिसमें दि गॉल का वर्चस्व था। दि गॉल द्वारा निर्मित यह संविधान पंचम गणतंत्र का संविधान कहलाता है। इस संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं जिसके कारण यह 1958 से अबतक कार्यरत है।

(1) संविधान की प्रस्तावना :— सभी देशों के संविधानों में प्रस्तावना महत्वपूर्ण विषय होती है, जैसा कि भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों में है। चतुर्थ गणतंत्र की भाँति पंचम गणतंत्र भी एक प्रस्तावना से सम्पन्न है। प्रस्तावना में व्यक्ति तथा राज्य को व्यक्ति तथा उसके परिवार की उन्नति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है।

(2) संकटकाल का शिशु :— पंचम गणतंत्र का संविधान उस समय निर्मित हुआ और लागू किया गया जब फ्रांस संकटकाल से गुजर रहा था।

Scanned with CamScanner

(3) दि गॉल कोड :— आमतौर से किसी देश के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधानसभा की आवश्यकता होती है, परन्तु फ्रांस का पंचम गणतंत्र का संविधान एक व्यक्ति जैनरल दिगॉल द्वारा बनाया गया संविधान है। इसलिए इसे 'दि गॉल संविधान' के नाम से भी जाना जाता है।

(4) संसदीय एवं अध्यक्षात्मक प्रणालियों का मिश्रण :— पंचम गणतंत्र को न तो पूर्णतया संसदीय कहा जा सकता है और न पूर्णतया अध्यक्षात्मक। नि:संदेह राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाया गया है तथा कार्यपालिका शक्तियाँ उसी को सौंपी गई हैं। उसके मंत्रिमंडल के सदस्य को फ्रांस की व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं रहने के बावजूद राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है।

(5) लिखित एवं निर्मित संविधान :— पंचम गणतंत्र का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। इस संविधान में प्रस्तावना के अतिरिक्त 92 ~~धारा~~ धाराएँ हैं जिन्हें 15 अध्यायों में बाँटा गया है।

(6) प्रजातंत्र और गणतंत्र का सम्मिश्रण :— फ्रांस में संविधान एक तरफ प्रजातंत्र की स्थापना करता है तो दूसरी तरफ गणतंत्र की। संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि फ्रांस एक अविभाज्य, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्रिक तथा सामाजिक गणराज्य होगा। संविधान के अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि संविधान के गणतंत्रीय स्वरूप को संशोधित नहीं किया जा सकता। फ्रांस में राज्य का प्रधान भी राज्य की जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है, वंशानुक्रम नहीं।

(7) कठोर संविधान :— संविधान में संशोधन साधारण विधि प्रक्रिया द्वारा सम्भव नहीं है अपितु विशेष पद्धति का उल्लेख है। अत: संविधान कठोर है।

Scanned with CamScanner

(8) मौलिक अधिकारों की व्यवस्था :— जिस प्रकार से भारतीय संविधान के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है उसी प्रकार से फ्रान्स के संविधान में भी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। 1789 के मानवीय अधिकारों की घोषणा को स्वीकार किया गया है। स्त्री तथा पुरुष को समान अधिकार दिया गया है।

(9) संवैधानिक परिषद :— संवैधानिक परिषद की व्यवस्था तो चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में थी। परन्तु नवीन संविधान के अन्तर्गत उसके संगठन में परिवर्तन लाया गया है तथा इसके महत्व को बढ़ा दिया गया है। इसमें 9 सदस्य होते हैं जो 9 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। एक तिहाई सदस्य प्रति तीन वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। संवैधानिक परिषद चुनाव, मतसंग्रह तथा कानून की संवैधानिकता की जाँच करता है।

फ्रांस के पंचम गणतंत्र का संविधान यों तो दि गॉल का कोई है जो जनता के द्वारा न बन करके दि गॉल की एक परामर्शदात्री समिति ने बनाया है। परन्तु उसने संविधान को प्रजातांत्रिक ढाँचे में ढाला है। उसने फ्रांस की जनता को एक ऐसा संविधान दिया है जो एक शक्तिशाली एवं सम्मानित राष्ट्र के रूप में उभड़ा है। यों तो संविधान निर्माण के बाद विभिन्न यूरोपीय विचारकों एवं नेताओं ने इसकी सफलता पर संदेह व्यक्त की थी। फ्रान्स के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मेन्ड्रॉज फ्रांस ने इसे राष्ट्र शान्ति तथा जनतंत्र के हितों का घातक बताया। परन्तु उनके सारे सन्देह नाकामयाब रहे और अबतक फ्रांस का संविधान सुचारूरूप से चल रहा है। आगे भविष्य ही बतलायेगा कि संविधान एक सुन्दर सवेरा का संदेश लेकर आया है या दुःखमयी अँधियारी रात का संदेश लेकर।

Scanned with CamScanner